प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

(पीएमजीएसवाई)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सउ़क संपर्कता उपलब्ध कराने हेतु 25 दिसम्बर 2000 को एक पूर्णतय केन्द्र द्वारा वित्तपोषित परियोजना के रूप में आरंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 व इससे अधिक की जनसंख्या वाले तथा पहाड़ी जनजातीय एवं मरूस्थल क्षेत्रों में 250 व इससे अधिक की जनसंख्या वाली सभी बसावटों को संपर्कता प्रदान कराने पर विचार किया गया है।

2.कोर नेटवर्क की पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के भाग के रूप में पहचान करने हेतु किए गए सवेक्षण के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए अद्यतन आंकडों के अनुसार लगभग 1.67 लाख संपर्कविहीन बसावटें इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर करने के लिए पात्र हैं। इस हेतु नई संपर्कता के लिए लगभग 3.71 लाख कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं 3.68 कि.मी. सड़कों का उन्नयन शामिल है।

भारत निर्माण

25 फरवरी 2005 को संसद को संबोधित करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण हेतु एक मुख्य कार्य योजना की घोषणा की। 28 फरवरी 2005 को वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ग्रामीण सड़कों की भारत निर्माण के छठे घटक के रूप में पहचान की तथा 1000 से अधिक की (पहाड़ी एवं जनजातिय क्षेत्रों में 500 अथवा अधिक) जनसंख्या वाली सभी बसावटों को बारहमासी संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य स्थापित किया। भारत निर्माण के अंतर्गत कुल 59564 बसावटों को नई संपर्कता प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 1,46,185 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना होगा। नई संपर्कता के अलावा भारत निर्माण के अंतर्गत 1,94,130 कि.मी. विद्यमान ग्रामीण सड़कों के उन्नयन/नवीकरण पर भी विचार किया गया है। इसमें भारत सरकार की ओर से 60% का उन्नयन तथा राज्य सरकारों द्वार 40% का नवीकरण शामिल है।